

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं.-54/2023- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 नवंबर, 2023

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उप नियम (4 ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 903 (अ), तारीख 26 दिसंबर 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2022 - केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर 2022 का निमंलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "गुजरात राज्य और पुडूचेरी राज्य" शब्दों के स्थान पर "आंध्र प्रदेश, गुजरात और पुडूचेरी राज्यों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा.सं.-सी.बी.आई.सी.-20006/23/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 27/2022- केन्द्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 903 (अ), तारीख 26 दिसंबर 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. सं. 574 (अ), तारीख 31 जुलाई 2023 में अधिसूचना सं. 31/2023 - केन्द्रीय कर, तारीख 31 जुलाई 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।